:: कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला झाबुआ ::

विज्ञापन कमांक/शिक्षा स्थापना/2010/8551 झाबुआ दिनांक 2/7/10

आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 15/7/10

संविदा शाला शिक्षक श्रेणी –1 के लिये नियोजन हेतु तृतीय विज्ञापन

1. व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा दिनांक 29.06.2008 को आयोजित "संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2008" में अर्ह पाये गये अभ्यार्थियों से जिला पंचायत जिला झाबुआ के अंतर्गत विधालयों में संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–एक के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु निम्नानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्रं.	विषय	अनुसूचित जनजाति			
		महिला	विकलांग	अन्य	योग
1	अंग्रेजी	02	01	02	05
2	भौतिक शास्त्र	02	00	01	03
3	रसायन	00	00	01	01
4	गणित	03	01	04	08
	योग	07	02	08	17

उपरोक्तनुसार दर्शाये गये पदों में बैकलॉग के पद भी सम्मिलित है।

उपरोक्त पद कम ज्यादा हो सकते है ।

2. म.प्र. पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) 2005 के नियम 6 (7) (ख) के अनुसार आरक्षण निम्नानुसार होगा :–

अ महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत

ब भूतपूर्व सैनिक के लिए 10 प्रतिशत

स निःशक्त व्यक्तियों के लिए कण्डिका–1 में वर्णित उपरोक्त पदों मे से विभिन्न प्रवर्गो के लिए विकलांगो आरक्षण निम्नानुसार होगा :–

झाबुआ जिले में विकलांग के पदों में एक पद महिला एवं एक पद अन्य विकलांग हेतु आरक्षित रहेगा । दृष्टिबाधित एवं अस्थिबाधित के लिये एक–एक पद आरक्षित रहेगा।

(1) **शैक्षणिक योग्यता एवं आयु :–**

1. संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष
2. न्यूनतम आयु 21 वर्ष अधिकतम आयु 35 वर्ष

(2) **अर्हताए :–**

1. वे ही अभ्यर्थी संविदा शाला शिक्षक के रूप में नियोजन हेतु जिला पंचायत को आवेदन दे सकेगे जिन्होने संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में नियम–6 के उप नियम (5) के अनुसार न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किये हो ।
2. अनुसूचित जातियों , जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो या किन्ही अन्य वर्गो के लिये उच्चतर आयु सीमा में छूट , सरकार के ऐसे नियमों के अनुसार होगी जो नियोजन के समय प्रवृत्त हो ।
3. महिला अभ्यर्थी के लिये अन्य छूट के अतिरिक्त उच्चतर आयु–सीमा में 10 वर्ष की छूट रहेगी ।

5– ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने संविदा शाला शिक्षक के रूप में कार्य किया है और जो संविदा शाला शिक्षक के नियोजन के लिए नये सिरे से आवेदन करेगें, वे उच्चत्तम आयु में उतनी कालावधि की छुट के हकदार होगें । जिनकी कालावधि के लिये उनके द्वारा पूर्व में संविदा शाला शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हों । इस आधार पर यह छुट अधिकतम 9 वर्ष के लिये होगीं बशर्ते उनकी संविदा असंतोषजनक कार्य के आधार पर समाप्त नहीं कर दी गई ।

6– दैनिक वेतनभोगी कर्मचारीयों को जो या तो कार्यरत हो अथवा जिनकी राज्य सरकार द्वारा छटनी की गई हो, उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के बराबर उच्चत्तर आयु सीमा में इस शर्ती के अधीन रहते हुये छुट दी जायेगीं कि अभ्यर्थी ने 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हैं ।

7– न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना रिक्त पदो के विज्ञापित होने के कैलेण्डर वर्ष के 01 जनवरी के संदर्भ में की जायेगीं ।

8– संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन के लिए नियम की अनुसूचि 02 के कॉलम (7) की अभ्युक्तियों में उल्लेखित शैक्षणिक अर्हताएं संविदा शाला शिक्षकों के अन्य तत्स्थानी पदो के लिए भी स्वीकार्य होगीं।

(3) निरर्हताएं:– नियम, 2005 की अनुसूची–दो का नोट (ख) निरर्हताएं में प्रावधानित नियमों अनुसार होगीं ।

(4) संविदा पारिश्रमिक:– नियम 2005 की अनुसूचि–एक के अनुसार संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 के लिये संविदा पारिश्रमिक (समेकित तथा प्रथम नियुक्ति पर नियत) रूपये 3500/– देय है ।

(5) अंतिम चयन सूची से नियोजन एवं संविदा:– म0प्र0 पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की भर्ती) नियम 2005 के नियम 06 के बिन्दु कमांक 01 से 06 तक के अनुसार होगीं ।

(6) चयन का मापदण्ड:– मध्यप्रदेश पंचायत/नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्ती) नियम 2005 तथा संशोधित नियम 2008 के नियम 6 के उपनियम (9)(क), (ग) एवं (घ) के अनुसार ।

(7) संविदा नियोजन की कालावधि एवं संविदा कालावधि में वृद्धि:– संविदा शाला शिक्षक के पद के लिये चयनित प्रत्येक व्यक्ति, किसी विशिष्ट स्कूल के लिए अधिकतम 03 वर्ष कालावधि के लिये संविदा पर नियोजित किया जावेगां । उससे इन नियमों में संलग्न परिशिष्ट में विहित किये गये प्रारूप में संविदा करने की अपेक्षा की जायेगी । प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिये नियोजनकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक संविदा शाला शिक्षक के कार्य, आचरण तथा प्रदर्शन का मूल्यांकन, यथाविहित प्रारूप में संधारित किया जावेगां । परन्तु सरकार के निर्देश पर चयनित व्यक्ति का नियोजन आवश्यकतानुसार 03 वर्ष से कम की कालावधि के लिये किया जा सकेगां एवं उसकी संविदा की कालावधि 03 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगीं । संविदा कालावधि में वृद्धि नियम 2005 के नियम–9 के अधिन होगीं ।

(8) पिछड़ी आदिम जनजातियों के लिए विषेष उपबंध:– नियम 2005 के नियम–7 के अनुसार होगें।

(9) आवेदन प्राप्त होने की तिथि:– आवेदन पत्र **दिनांक** 15/7/10 तक कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास विभाग जिला झाबुआ में **(शासकीय अवकाशों को छोडकर कार्यालयीन दिवसों में) प्रातः 11:00 से शाम 4:00 बजे तक** प्राप्त किये जावेगें ।

(10) आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि:– आवेदन पत्र दिनांक 15/7/10 तक **कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास विभाग जिला झाबुआ** में कार्यालयीन समय में प्राप्त होना अनिवार्य हैं । किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगां । तथा डॉक द्वारा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिये कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा ।

(11) अनंतिम चयन सूची का प्रकाशन:– अंतिम चयन सूची का प्रकाशन दिनांक 30/7/10 को **जिला पंचायत झाबुआ एवं आदिवासी विकास विभाग झाबुआ** के सूचना फलक पर किया जावेगा ।

(12) आपत्तियों का प्राप्त करना:– यदि किसी अभ्यर्थी को अंतिम चयन सूची के संबंध में कोई आपत्ति होतो वह उक्त सूची के प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर कलेक्टर को आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेगां । आपत्तियों का निराकरण नियम–11 के अनुसार किया जावेगां ।

(13) अंतिम चयन सूची का प्रकाशन:– अंतिम चयन सूची का प्रकाशन दिनांक 10/8/10 को जिला पंचायत एवं आदिवासी विकास विभाग के सूचना फलक पर किया जायेगां ।

(14) एकीकृत काउंसलिगं:– जिला मुख्यालय पर एकीकृत कांउसलिगं जिला कलेक्टर के समन्वय में नियोजनकर्ता प्राधिकारी के माध्यम से दिनांक 20/8/10 से की जायेगीं एवं मौका स्थल पर नियुक्ति एवं संविदा की कार्यवाही संम्पन्न होगीं ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत झाबुआ